# न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),भीण्डर जिला उदयपुर

**पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया R.A.S**

**राजस्व वाद संख्या : 71/23(प्रा.पत्र)**

**GCMS No: 2023/269**

1. श्रीमती लीलाबाई पत्नि उंकारलाल जी जाति डांगी निवासी नारायणपुरा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
2. श्री मदनलाल पिता भुरालाल जी जाति डांगी निवासी नारायणपुरा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
3. श्री सुरेशचन्द पिता मांगीलाल जी निवासी डांगी खेडा तहसील मावली जिला उदयपुर राज.।

............प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार सा. भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

...............विपक्षीगण

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क)राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

## —: : निर्णय : :—

**दिनांक 26.03.2024**

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा नारायणपुरा, पटवार हल्का बडगांव, भू.अ.नि.क्षे. बडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. में जमाबंदी संवत् 2078—81 की खाता संख्या नया 427 के आराजी संख्या 8, 9, 10, 12, 13 कुल खसरे—5 क्षेत्रफल 1.5200 हैक्टयर भूमि प्रार्थीया संख्या 1 श्रीमती लीलाबाई पत्नि उंकारलाल जी डांगी के नाम से खातेदारी से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं तथा खाता संख्या नया 214 की आराजी संख्या 11 कुल खसरा 1 क्षैत्रफल 0.4400 हैक्टयर कृषि भूमि प्रार्थी संख्या 2 मदनलाल पिता भूरालाल डांगी के नाम से खातेदारी से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं तथा खाता संख्या नया 444 की आराजी संख्या 619 कुल खसरा 1 क्षैत्रफल 0.4800 हैक्टयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.04.29 16:47:46 IST
Reason: SelfAttested

भूमि प्रार्थी संख्या 3 सुरेश्चन्द पिता मांगीलाल जी डांगी के नाम से खातेदारी से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं।

2. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात की कृषि भूमि पर आने जाने हेतु कोई भी रास्ता उपलब्ध नहीं हैं तथा उपरोक्त प्रार्थीगण की कृषि आराजीयात पर आने जाने हेतु विपक्षी की बिलानाम आराजी संख्या 631, 633, 640 में से होकर अपने खेतो में कृषि कार्य करने हेतु आते जाते हैं परन्तु उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र रास्ता हेतु प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात 8, 9, 10, 11, 12, 13, 619 पर आने–जाने हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 631, 633, 640 का ही उपयोग–उपभोग किया जा रहा हैं परन्तु मौके पर किसी प्रकार का रास्ता नहीं है। यह कि प्रार्थीगण को अपने खेतो पर आने जाने तथा खेतो से फसल लाने ले जाने हेतु ट्रेक्टर आदि जाने ले जाने हेतु सुगमता युक्त 20 फीट चौडे मार्ग के रूप में रास्ते की आवश्यकता हैं। प्रार्थीगण रास्ते की जमीन के लिये राजस्व व्यय का डीएलसी दर से विपक्षी तहसीलदार सा. को राजस्व शुल्क भी नियमानुसार जमा कराने को तैयार हैं तथा राजस्व रेकर्ड में नवीन रास्ता 20 फीट चौडाई के रूप में दर्ज करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 631, 633, 640 में से 20 फीट चौडे रास्ता कायम किये जाने उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित किये जाने का निवदेन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई तथा रिपोर्ट को ही जबाव माने जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई जिसके अनुसार ग्राम नारायणपुरा पटवार हल्का बडगांव के आराजी संख्या 8, 9, 10, 12, 13 खातेदार श्रीमती लीलाबाई पत्नि उंकार लाल डांगी निवासी नारायणपुरा, आराजी संख्या 11 खातेदार श्री मदनलाल पिता भूरालाल डांगी निवासी नारायणपुरा, आराजी सं. 619 खातेदार श्री सुरेश्चन्द पिता मांगीलाल डांगी निवासी डांगीखेडा के खातेदारान भूमि पर पहुंच मार्ग हेतु



Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.04.29 16:47:46 IST
Reason: SelfAttested

रास्ता आराजी सं. 640, 631, 633 सर्वकिस्म पडत जो कि बिलानाम काबिल काश्त एवं आराजी संख्या 651, 641 जो कि महफुज चरनोट ग्राम पंचायत बडगांव हिस्सा पूर्ण चरागाह व सामान्य आवागमन हेतु दर्ज रिकॉर्ड भूमि में से उपयोग किया जा रहा हैं। तहसीलदार भीण्डर द्वारा आराजी संख्या 631 मे से 17 मी. X 3.66 मी., आराजी संख्या 633 में से 53 मी. X 3.66 मी. एवं आराजी सं. 640 में से 48 मी. X 3.66 मी.कुल रकबा 431.9 वर्ग मी. भूमि खातेदारान की भूमि पर पहुँच मार्ग हेतु बिलानाम काबिल काश्त आराजीयात में से प्रस्तावित किया गया। प्रस्तावित रास्ते अनुसार ग्राम नारायणपुरा की डीएलसी दर 1525799/-रूपये प्रति हैक्टयर के अनुसार उक्त प्रस्तावित रास्ते हेतु 431.9 वर्ग मी. भूमि की राशि 65915/- रूपये प्रस्तावित की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में बहस सुनी गई। प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया वह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हमने बहस पर मनन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थीगण के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात पर आने-जाने हेतु विपक्षी की आराजी मे से रास्ता दिये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 619 में पहॅुचने के लियें विपक्षी की आराजी नम्बर 631, 633, 640 में से रास्ता प्रस्तावित किया गया।

5. अतः उपरोक्त विवेचन एवं बिन्दूवार निष्कर्ष के आधार पर हमने यह पाया की प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजी नम्बर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 619 पर आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी नम्बर 631, 633, 640 में से 20 फीट चौडा रास्ता कायम किये जाने का निवेदन किया प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही होनां बताया। प्रार्थी द्वारा यह भी बताया की उक्त प्रस्तवित रास्ता न्युनतम दुरी वाला है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में आराजी नम्बर 631, 633, 640 में से रास्ता प्रस्तावित किया गया जो प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक जाता हैं। अतः प्रार्थीगण को आने जाने व खेतो

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.04.29 16:47:46 IST
Reason: SelfAttested

से फसल लाने ले जाने के लिए सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

## —: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा नारायणपुरा, पटवार हल्का बडगांव, भू.अ. नि.क्षे. बडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. में प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 619 में आने जाने हेतु तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट अनुसार विपक्षी की आराजी नम्बर 631 मे से 17 मी. X 3.66 मी., आराजी संख्या 633 में से 53 मी. X 3.66 मी. एवं आराजी सं. 640 में से 48 मी. X 3.66 मी. कुल रकबा 431.9 वर्ग मी. भूमि संलग्न (प्रस्तावित) राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात तक कायम किया जावें। इस प्रकार रास्तें में आने वाली भूमि की तहसीलदार भीण्डर के अनुसार डीएलसी दर 1525799 रू/हैक्टेयर है। गणना अनुसार प्रस्तावित रास्ते 431.9 वर्ग मी. की कुल कीमत 65915/— रूपये का दुगुना प्रतिकर 131830/—रूपयें अक्षरे एक लाख ईकतिस हजार आठ सौ तीस रूपये राशि प्रार्थीगण से वसूल कर विपक्षी को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाई जावें। तहसीलदार भीण्डर उक्त राशि प्रार्थीगण से वसूल कर विपक्षी को अदा करने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्तें पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। तहसीलदार भीण्डर को पालना हेतु लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.04.29 16:47:46 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.04.29 16:47:46 IST
Reason: SelfAttested